

राजस्थान सरकार  
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ 1(80) परि/स्था/2017/

20279

जयपुर, दिनांक: 6-9-2023

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14.08.2023 को सम्पन्न हुई।

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार निम्न कार्मिकों को प्रशासनिक अधिकारी (लेवल इन पे मैट्रिक्स एल-12) के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

वर्ष 2023-24

	वर्ग	जन्म तिथि	रिक्ति तिथि
1. श्री प्रमोद वशिष्ठ	सामान्य	25.11.1970	01.04.2023
2. श्री संजीव कुमार गुप्ता	सामान्य	10.10.1976	01.04.2023
3. श्रीमती यशवंती चौधरी	सामान्य	12.10.1963	01.04.2023
4. श्री दिनेश कुमार	सामान्य	14.04.1965	01.04.2023
5. श्री श्याम लाल रैबारी	अ.पि.व. (दिव्यांगजन)	13.02.1974	17.08.2023

कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 08.09.2017 एवं अधिसूचना दिनांक 15.05.2023 के अनुसार पात्रता सूची में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर एक वर्ष का अनुभव पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं होने के कारण 02 पदों को रिक्त रखा गया है।

उक्त समस्त कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का काल्पनिक लाभ तथा कार्यग्रहण तिथि से नकद लाभ देय होगा तथा समस्त कार्मिक अपने-अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही अपनी उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जाएंगे।

154

(कन्हैयालाल स्वामी)

आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा

क्रमांक: एफ 1 (80) परि/स्था/2017/ 20280-87 जयपुर, दिनांक: 6-9-23

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सडक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राजस्थान, जयपुर।
5. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी.....
6. संबंधित अधिकारी श्री .....
7. भुगतान शाखा दो प्रतियों में
8. निजी/रक्षित पत्रावली



अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)